भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1660
(जिसका उत्तर मंगलवार, 3 अगस्त, 2021/12 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन

1660. **श्री कुमार केतकर:**
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री राजमणि पटेल:
श्री शक्तिसिंह गोहिल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कर्ज़ औऱ सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात का आकलन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन में संशोधन करने का इरादा रखती है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ङ) क्या सरकार राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन में यथानिर्धारित कर्ज और जीडीपी अनुपात के लक्ष्यों आंकड़ो से लक्ष्य सीमा तक संशोधित करने पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण है?

<u>उत्तर</u>

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी, हाँ।

(ख) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसार, केंद्र सरकार के ऋण की स्थिति अनुबंध-I में देखी जा सकती है।

(ग) और (घ) एफआरबीएम अधिनियम में किया गया सरकार का संशोधन वित्तीय सुदृढ़ीकरण के पथ को लक्षित कर 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% के नीचे के स्तर पर लाना है।

(ङ) और (च) एफआरबीएम ऋण लक्ष्यों में किये गए संशोधन ऊपर दर्शाए गए विस्तृत राजकोषीय घाटे के पथ के अनुरूप होंगे।

*****

अनुबंध-I

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2020-21 (अनंतिम)	**2021-22 (अनंतिम)**
1. सार्वजनिक ऋण (2+3)	52.0	52.2
2. विदेशी ऋण	3.5	3.2
3. आंतरिक ऋण	48.5	51.0
4. अन्य देनदारियाँ	8.5	7.6
5. कुल ऋण (1+4)	60.5	61.7